



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net E_mail: scoutguide_bpl@dataone.in Phone ☎: 2661263, ☐ Fax: 2737446

पत्र0क0 / 8341 / रा0मु0 / गति-जी / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक. 4 / 6 / 2014

1. सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय मुख्यालय
2. जिला शिक्षा अधिकारी /
सहायक आयुक्त आदिवासी विकास
पदेन जिला कमिश्नर स्काउट
जिला

विषय :- सामुदायिक विकास योजना (सी0डी0प्रोजेक्ट) का संचालन बाबत ।
—:0:—

विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2014-2015 हेतु आपके संभाग अधिनस्थ जिलों में सामुदायिक विकास योजना (सी0डी0प्रोजेक्ट) का संचालन होना है, इस हेतु संलग्न सूची अनुसार जिलों को आवंटित सामुदायिक विकास योजना (सी0डी0प्रोजेक्ट) किये गये है ।

आवंटित सामुदायिक विकास योजना (सी0डी0प्रोजेक्ट) को जिलों में संचालित करायें इसे 6 या 8 माह तक संचालित कर प्रतिवेदन, फोटोग्राफ्स, पेपर कटिंग सहित राज्य मुख्यालय को भेजे ।

समय समय पर ए0एस0ओ0सी0 / डी0ओ0सी0 इसका अवलोकन करेंगे और अपने मासिक प्रतिवेदन में इसका उल्लेख करेंगे । जिलों के भ्रमण के दौरान राज्य मुख्यालय के पदाधिकारी भी अवलोकन करेंगे । शेष जानकारी हेतु सहपत्र संलग्न है ।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 4 / 6 / 2014

पू0क0 / 8342 / रामु / गति-जी / 2014

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. राज्य मुख्य आयुक्त राज्य मुख्यालय भोपाल ।
2. राज्य संगठन / प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट / गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
3. जिला संगठक (स्काउट / गाइड) जिला संघ(म0प्र0) ।

राज्य सचिव

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

आवंटित सामुदायिक विकास योजना (सी0डी0प्रोजेक्ट) का नाम			
क्रम	संभाग	जिला	आवंटित सामुदायिक विकास योजना
1	2	3	4
1	भोपाल	भोपाल	पर्यावरण के संरक्षण हेतु अभियान
2		रायसेन	हरित क्षेत्र का संरक्षण व इससे संबंधित गतिविधियाँ
3		विदिशा	पर्यावरण के संरक्षण हेतु अभियान
4		राजगढ़	सड़क सुरक्षा अभियान
5		सीहोर	कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम
6	चम्बल	मुरैना	मद्य, नशीली वस्तुयें तथा नशीली औषधियों के विरुद्ध अभियान
7		भिण्ड	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
8		श्यापुर	स्वच्छता अभियान
9	ग्वालियर	ग्वालियर	देश में व्याप्त कुरीतियों व हानिकारक प्रथाओं के विरुद्ध अभियान
10		शिवपुरी	राष्ट्रीय एकता तथा इससे संबंधित गतिविधियाँ हेतु अभियान
11		गुना	मद्य, नशीली वस्तुयें तथा नशीली औषधियों के विरुद्ध अभियान
12		दतिया	पेयजल की सुरक्षा व संरक्षण तथा इससे संबंधित अभियान
13		अशोकनगर	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
14	होशंगाबाद	होशंगाबाद	हाथ धुलाई किशोरी स्वच्छता अभियान
15		बैतूल	स्वच्छता अभियान
16		हरदा	पर्यावरण के संरक्षण हेतु अभियान
17	इन्दौर	इन्दौर	सड़क सुरक्षा अभियान
18		झाबुआ	मद्य, नशीली वस्तुयें तथा नशीली औषधियों के विरुद्ध अभियान
19		धार	पर्यावरण के संरक्षण हेतु अभियान
20		अलीराजपुर	हरित क्षेत्र का संरक्षण व इससे संबंधित गतिविधियाँ
21		खण्डवा	स्वच्छता अभियान
22		बुरहानपुर	देश में व्याप्त कुरीतियों व हानिकारक प्रथाओं के विरुद्ध अभियान
23		खरगौन	राष्ट्रीय एकता तथा इससे संबंधित गतिविधियाँ हेतु अभियान
24		बडवानी	पेयजल की सुरक्षा व संरक्षण तथा इससे संबंधित अभियान
25	जबलपुर	जबलपुर	कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम
26		बालाघाट	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम

आवंटित सामुदायिक विकास योजना (सी0डी0प्रोजेक्ट) का नाम			
क्रम	संभाग	जिला	आवंटित सामुदायिक विकास योजना
1	2	3	4
27		छिंदवाडवा	हरित क्षेत्र का संरक्षण व इससे संबंधित गतिविधियाँ
28		सिवनी	देश में व्याप्त कुरीतियों व हानिकारक प्रथाओं के विरुद्ध अभियान
29		नरसिंहपुर	मद्य, नशीली वस्तुयें तथा नशीली औषधियों के विरुद्ध अभियान
30		कटनी	राष्ट्रीय एकता तथा इससे संबंधित गतिविधियों हेतु अभियान
31		मण्डला	सड़क सुरक्षा अभियान
32	रीवां	रीवा	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
33		सतना	संस्था के प्रति भलाई के कार्य
34		सीधी	पेयजल की सुरक्षा व संरक्षण तथा इससे संबंधित अभियान
35		सिंगरौली	देश में व्याप्त कुरीतियों व हानिकारक प्रथाओं के विरुद्ध अभियान
36	सागर	सागर	पर्यावरण के संरक्षण हेतु अभियान
37		दमोह	सड़क सुरक्षा अभियान
38		पन्ना	हरित क्षेत्र का संरक्षण व इससे संबंधित गतिविधियाँ
39		टीकमगढ	संस्था के प्रति भलाई के कार्य
40		छतरपुर	देश में व्याप्त कुरीतियों व हानिकारक प्रथाओं के विरुद्ध अभियान
41	शहडोल	शहडोल	मद्य, नशीली वस्तुयें तथा नशीली औषधियों के विरुद्ध अभियान
42		अनूपपुर	कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम
43		उमरिया	पेयजल की सुरक्षा व संरक्षण तथा इससे संबंधित अभियान
44		डिंडौरी	स्वच्छता अभियान
45	उज्जैन	उज्जैन	राष्ट्रीय एकता तथा इससे संबंधित गतिविधियों हेतु अभियान
46		देवास	पेयजल की सुरक्षा व संरक्षण तथा इससे संबंधित अभियान
47		रतलाम	पर्यावरण के संरक्षण हेतु अभियान
48		शाजापुर	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम
49		मन्दसौर	हरित क्षेत्र का संरक्षण व इससे संबंधित गतिविधियाँ
50		नीमच	सड़क सुरक्षा अभियान



राज्य सचिव
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश



भारत स्काउट एवं गाइड, मध्यप्रदेश राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net E_mail: scoutguide_bpl@dataone.in Phone ☎: 2661263, ☐ Fax: 2737446

सामुदायिक विकास योजना (सी0डी0प्रोजेक्ट)

1. जिले का नाम
2. प्रोजेक्ट का नाम
3. प्रोजेक्ट अवधि
4. प्रोजेक्ट का क्षेत्र
5. प्रोजेक्ट अधिकारी का नाम
6. प्रोजेक्ट सहयोग :-
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
7. प्रोजेक्ट का उद्देश्य :-
8. सहयोगी संस्थायें :-
 1.
 2.
 3.
 4.
9. संस्थाओं से प्राप्त सहयोग :-
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.

(क्रियान्वयन का क्रमवार मासिक विवरण की योजना संलग्न करें)

जिला संगठन आयुक्त (स्का0 / गा)
जिला संघ

जिला कमिश्नर (स्का0 / गा)
जिला संघ

सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्का0 / गा)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय मुख्यालय

—: सामुदायिक विकास परियोजना :—

ए0पी0आर0ओ0भाग-2/3 के क्रम 7 के अनुसार स्वास्थ्य या संरक्षण या साक्षरता या अल्पबचत पर एक सामुदायिक परियोजना बनाना तथा उसमें स्वयं भाग लेना । (विषय का चयन प्रधानमंत्री शीलड प्रतियोगिता पुस्तिका से किया जा सकता है) ।

किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले उसकी परियोजना तैयार की जाती है । बिना योजना बनायें कार्य शुरू करना कुछ ऐसा ही है जैसे बिना रास्ता निश्चित किये यात्रा पर चल देना ।

(पहले लक्ष्य बांधों, अन्यथा बिना लक्ष्य का जीवन गड्ढे में गिरता है)

योजना विहीन कार्य में श्रम भी अधिक लगता है, धन भी अधिक लगता है और कार्य दिशाहीन होता है—
परियोजना निम्न खण्डों में तैयार की जाती है :—

1. परियोजना का नाम :—

परियोजना का नाम ऐसा होना चाहिये जिससे उसके उद्देश्यों की भी जानकारी मिलती हों । परियोजना का शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होना चाहिये ।

2. परियोजना का क्षेत्र :—

परियोजना का क्षेत्र सीमित तथा पूर्व निश्चित होना चाहिये । अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र नहीं लेना चाहिये । अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र लेने से कार्य के अच्छे परिणाम नहीं निकल पायेंगे ।

3. परियोजना की अवधि :—

परियोजना के अवधि का निर्धारण उद्देश्यों एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किया जाना चाहिये । स्काउट-गाइड परियोजना की अवधि 6 से 8 माह ही होनी चाहिये ।

4. परियोजना के उद्देश्य :—

प्रत्येक परियोजना के कुछ मूल उद्देश्य पूर्णतक स्पष्ट होने चाहिये ।

5. परियोजना के संसाधन :—

परियोजना अधिकारी को स्पष्ट जानकारी होनी चाहिये कि यदि योजना में प्रयुक्त संसाधन क्या होंगे तथा उनकी प्राप्ति का स्रोत क्या होगा ।

6. कार्य विभाजन :—

कार्य की सफलता कुशल नेतृत्व तथा अच्छे कार्यकर्ताओं पर निर्भर है । सभी कार्यकर्ताओं में कार्य का बटवारा समान रूप से होना चाहिये । इससे प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं को परियोजना का समान भागीदार समझेगा और कार्य के अच्छे परिणाम निकलेगें ।

7. कार्य का विवरण :—

जो भी कार्य परियोजना के सदस्यों द्वारा किया जाता है उसे प्रतिदिन डायरी में लिखा जाना चाहिये ।

8. मूल्यांकन :—

मूल्यांकन द्वारा ही अनुमान लगाया जा सकता है कि परियोजना अपने उद्देश्यों में सफल रही या असफल । कार्य एवं परियोजना ऐसी होनी चाहिये जिसका समय समय पर मूल्यांकन किया जा सके । अतिथियों की टिप्पणियों भी संक्षिप्त मूल्यांकन करती है । अतः समय समय पर उन्हें भी आमंत्रित किया जाना चाहिये ।

9. प्रतिवेदन :—

प्रतिवेदन किसी भी परियोजना का महत्वपूर्ण भाग है । कार्य पूर्ण होने पर संबंधित अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिये ।

स्काउट-गाइड की जानकारी के लिये एक परियोजना का प्रारूप प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसके आधार पर अन्य परियोजनायें स्काउट-गाइड स्वयं तैयार कर सकते हैं ।

सामुदायिक विकास परियोजना (नमूना)

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश

स्कूल का नाम दल/कम्पनी

1. **परियोजना का नाम** :- स्वास्थ्य परियोजना
2. **परियोजना का क्षेत्र** :- वार्ड क्र0..... के मकान नं0सेतक
3. **परियोजना की अवधि** :- 1 जुलाई से 31 दिसम्बर..... तक
4. **परियोजना का उद्देश्य** :-
 1. मकानों में स्वच्छता रखने की आदत का निर्माण ।
 2. बालक-बालिकाओं व प्रौढ़ों में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत का निर्माण ।
 3. गली, सड़क व आसपास स्वच्छता रखने की आदत का विकास ।
 4. हेण्डपम्प, टोटी व कुओं के पास सोखता गड्डों का निर्माण ।
 5. स्वच्छ जल के लिये सस्ता फिल्टर बनवाना व प्रयोग की आदत का विकास ।
 6. पानी की टंकी की सफाई ।
 7. निर्धूम चूल्हों का निर्माण व प्रयोग ।
 8. सस्ता शौचालय बनवाने के लिये प्रेरित करना ।
 9. प्लास्टिक की थैलियों को नालियों में फेंकने से रोकना ।
 10. बच्चों व माताओं को समय पर रोग-प्रतिरोधक टीके लगवाना ।
 11. पांच वर्ष से कम के बच्चों का सर्वे कर उन्हें मुफ्त ओ0आर0एस0 के पैकेट उपलब्ध कराना ।
 12. स्वच्छता व स्वास्थ्य की आदतों का अध्ययन करना ।
 13. पल्स पोलियो ड्राप्स पिलवाना ।

(उपरोक्त उद्देश्यों में से कुछ का चयन किया जा सकता है)

5. उपलब्ध संसाधन :-

- (क) मानव संसाधन – स्काउट-गाइड, समुदाय के व्यक्ति, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी ।
- (ख) भौतिक संसाधन- पोस्टर, पैम्फलेट, ओ0आर0एस0 पैकेट, नेलकटर, साबुन, तौलिये, झाड़ू, फावड़ा आदि
- (ग) आर्थिक संसाधन- फावड़े, साबुन, फिल्टर का सामान खरीदने के लिये बालकोष से 1000 रुपये अग्रिम लिये जायेंगे । अतिरिक्त व्यय हेतु स्काउट-गाइड स्वयं धन संग्रह करेंगे ।

6. कार्यों का विभाजन :-

स्काउटर-गाइडर द्वारा कार्य की रूपरेखा तैयार कर उसे टोलियों में बांटा जायेगा । टोली नायक/नायिका अपने प्रत्येक सहयोगी के लिये कार्य निर्धारित करेगा । अतिरिक्त कार्य सामूहिक रूप से किया जायेगा ।

1. प्रत्येक टोली प्रति सप्ताहन्त में 5 परिवारों की संभाल करेगी ।
2. हेण्डपम्प व कुओं के आसपास की सफाई तथा पानी की टंकी की सफाई के लिये समुदाय के लोगों का सहयोग लिया जायेगा ।
3. स्वास्थ्य निरीक्षण के लिये स्वास्थ्य विभाग की सहायता ली जायेगी ।
4. निर्धूम चूल्हों व शौचालयों के निर्माण के लिये संबंधित विभागों की सहायता ली जायेगी ।
5. मोहल्ले के पार्षद व गणमान्य लोगों का सहयोग भी लिया जायेगा ।

7. कार्य का विवरण :- कार्य समाप्त होने के बाद प्रतिदिन उसकी रिपोर्ट लिखी जायेगी-

उदाहरणार्थ-

क्रम	दिनांक	कार्य का विवरण	लाभार्थियों की संख्या	स्काउट-गाइड संभागियों की संख्या
1.	15.8.2007	जन सम्पर्क अधिकारी के सहयोग से लघु फिल्म दिखाई गई ।	540 पुरुष, व महिला	15
2.	23.8.2007	घरों में निर्धूम चूल्हों का निर्माण कराया गया	15 परिवार	05
3.	3.9.2007	स्वच्छ जल पोस्टर घर-घर जाकर बांटे गये	20 परिवार	08

8. **मूल्यांकन** – परियोजना का मूल्यांकन निम्न स्तरों पर किया जायेगा–

1. प्रति सप्ताह
2. परियोजना के समाप्त होने पर
3. अतिथियों की टिप्पणियों को भी मूल्यांकन में प्रयोग किया जायेगा ।

9. **प्रतिवेदन** :-परियोजना पूर्ण होने पर प्रतिवेदन मानसभा में प्रस्तुत किया जायेगा ।

नोट :-1.कार्य विवरण/प्रतिवेदन को मानसभा अध्यक्ष व स्काउटर-गाइडर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये ।

2. प्रारूप में दिये गये उद्देश्यों में से सुविधानुसार कुछ उद्देश्यों का चयन किया जा सकता है ।

प्रतिवेदन

प्रतिवेदन किसी भी परियोजना का अंतिम चरण होता है । प्रतिवेदन परियोजना की पूर्णता व सफलता का दर्पण है । इसको लिखने के लिये कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं है । लेकिन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय तथ्यों की वैधता व विश्वसनीयता की जांच अवश्य कर लेनी चाहिये । प्रस्तुत किये गये तथ्य, सूचनायें तथा सुझाव ऐसे हों जिनसे अन्य स्काउट-गाइड लाभान्वित हो सकें ।

प्रतिवेदन तैयार करने के सोपान

1. मुख पृष्ठ मुख्य पृष्ठ पर निम्न सूचनायें दी जाती है–

1. परियोजना का नाम –
2. परियोजना अधिकारी का नाम –
3. संस्था का नाम–
4. परियोजना की अवधि –
5. परियोजना का क्षेत्र –
6. संभागी सदस्यों की सूची –

2. प्रस्तावना प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य मूल विषय से परिचित कराना होता है । संक्षेप में यह बताया जाता है कि इस परियोजना के विचार का उदय कैसे हुआ ? परियोजना के लिये इसी क्षेत्र को क्यों चुना ? परियोजना के दौरान उत्पन्न कठिनाईयों व उनके निराकरण के लिये प्रयुक्त उपायों का भी अतिसूक्ष्म परिचय दिया जाना चाहिये ।

3. समस्या का विवरण – समस्या की पृष्ठभूमि तथा उस पर परियोजना बनाने की आवश्यकता बताते हुये समस्या का चयन किस आधार पर किया गया । इस समस्या पर कार्य करने से क्या-क्या लाभ होने की संभावनायें हैं ।

4. परियोजना का उद्देश्य– परियोजना का उद्देश्य ज्ञान का विस्तार हो सकता है या सामाजिक समस्याओं का समाधान भी हो सकता है । सरकार या विभाग द्वारा सौंपे गये कार्य में तो उद्देश्य एवं लक्ष्य पहले ही निश्चित होता है ।

5. कार्य का संगठन (विभाजन)– स्काउट-गाइड को प्रशिक्षित करने व उद्देश्यों को स्पष्ट करने के बाद उनमें कार्य का विभाजन किस प्रकार किया गया । कार्य के निरीक्षण व मूल्यांकन की क्या व्यवस्था की गई । कार्य की संगठन व्यवस्था ही आपकी परियोजना की सफलता व मूल्यांकन का मूल आधार होगी

6. विश्लेषण एवं व्याख्या– प्रतिवेदन के इस स्तर पर कार्य के लिये एकत्रित सूचनाओं व तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है । आवश्यकता होने पर सूचनाओं व तथ्यों के लिये सारणी, चार्ट, पम्पलेट, चित्र तथा रेखचित्रों का प्रयोग करना चाहिये । तथ्यों को सुव्यवस्थित रूप में देने के बाद उनका विश्लेषण एवं व्याख्या भी दी जानी चाहिये । अतिथियों की टिप्पणी व सुझावों को भी तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ।

7. निष्कर्ष –विश्लेषण एवं व्याख्या के पश्चात् परिणामों व निष्कर्षों को क्रमशः स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिये

8. सुझाव – प्रतिवेदन (रिपोर्ट) में रचनात्मक सुझाव अवश्य देने चाहिये । आपके बहुमूल्य सुझाव विभाग व अन्य कार्यकर्ताओं के लिये उपयोगी रहेंगे ।

हस्ताक्षर अध्यक्ष

मानसभा

हस्ताक्षर स्काउट-गाइड

विशेष :- सुझावों के साथ ही रिपोर्ट समाप्त हो जाती है । लेकिन रिपोर्ट से संबंधित कुछ पत्र, फोटो तालिका, मानचित्र, चार्ट, पम्पलेट, आंकड़े या अन्य विवरण जो आपके कार्य की प्रमाणिकता सिद्धकरते हों, जिन्हें अधिकारियों को सौंपा जाना आवश्यक है, अंत में परिशिष्ट के रूप में संलग्न कर देना चाहिये ।